



इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०

Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांकसं०:इ०रा०वि०वि/उ.कु.स.का./१५१/२०१८

दिनांक : १६/०५/२०१८

कार्यालय आदेश

स्नातक तथा परास्नातक स्तर की प्रायोगिकी/मौखिकी हेतु योजित किए जाने वाले परीक्षकों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, जिससे कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित समयान्तर्गत हो सके इस हेतु माननीय कुलपति जी ने निम्नांकित आदेश प्रदान किये हैं—

- 1— राजकीय/सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षक जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं उन्हें प्रायोगिकी/मौखिकी में आन्तरिक/वाह्य परीक्षक के रूप में योजित किया जाएगा।
- 2— वाह्य परीक्षकों को योजित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि अध्ययन परिषद (Board of Studies) द्वारा संस्तुत सूची में परीक्षक का नाम सम्मिलित हो और वह 300 किमी से अधिक दूरी का न हो।
- 3— स्नातक स्तर की प्रायोगिकी/मौखिकी में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों को ही योजित किया जाएगा।
- 4— परास्नातक स्तर की प्रायोगिकी/मौखिकी में मात्र परास्नातक स्तर पर अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों को ही योजित किया जाएगा।
- 5— परीक्षकत्व हेतु किसी प्रकार की सिफारिश या दबाव अनुशासनहीनता मानी जायेगी।
- 6— स्नातकोत्तर स्तर की प्रायोगिकी/मौखिकी हेतु दूरी निर्धारण में, उपलब्धता के आधार पर, शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

डा० (साहेबलाल मौर्य)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य/प्राचार्या सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. समस्त अधिकारीगण।
3. एजेंसी को इस आशय से प्रेषित, कि उक्त कार्यालय आदेश को सम्बन्धित महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपतिजी, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैय० सहायक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।

(राजबहादुर)
उपकुलसचिव (परीक्षा)